

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

621-

क्रमांक / बजट / उपयोजना / 2016-17 /
प्रति,

20046

भोपाल, दिनांक

12/9/16

परियोजना संचालक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, प्लॉट नं० 27-28
अरेरा हिल्स भोपाल

विषय :- मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2225 योजना क्रमांक 6500 विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास मदान्तर्गत आवंटन वर्ष 2016-17।

संदर्भ:- विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण शाखा की नस्ती क्रमांक पीटीजी/31/2016 के नोटशीट पृ. 171 से 174 पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.09.2016

-0-

कृपया नियमानुसार व्यय हेतु बजट प्रावधान रूपये 3,10,20,000/- (शब्दों में रूपये तीन करोड़ दस लाख बीस हजार) मात्र का आवंटन आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के आदेशानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति नवीन एकलव्य आवासीय विद्यालय श्योपुर के भवन निर्माण हेतु (अतिरिक्त राशि) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रदत्त किया जाता है। जिसका व्यय निम्न शीर्ष से विकलनीय होगा।

'मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (02) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6500 विशेष पिछड़े जनजातियों का विकास 42 सहायक अनुदान 007 अन्य।'

2. कृपया मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उपनियम 284 का पालन किया जावे तथा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासन के आदेशों का पालन किया जावे।

3. कृपया जब तक अतिरिक्त प्रावधान न दिया जावे अथवा व्यय करने की पूर्वानुमति न दी जावे तब तक आवंटन से अधिक व्यय न किया जावे। आवंटन से अधिक व्यय का उत्तर दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।


4. कृपया उक्त राशि का उपयोग द्वितीय त्रैमास में किया जाना सुनिश्चित करें।

5. कृपया आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं माना जावे। व्यय की प्रशासकिय स्वीकृति नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर योजना क्रियान्वयन के संबंध में जारी निर्देशों के तहत व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

6. कृपया राशि आहरित कर बैंक खातों में जमा न की जावे। समस्त ई.पेमेन्ट किया जावे।

अतः माहवार व्यय की समीक्षा किया करें तथा व्यय का लेखा प्रत्येक शीर्ष योजनान्तर्गत ठीक रखा जाकर व्यय के मासिक पत्रक मय ट्रेजरी व्हाऊचर नम्बर के आगामी माह की 10 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)


(आयुक्त शर्मा)

अपर संचालक(वित्त)

आदिवासी विकास म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक / बजट / उपयोजना / 2016-17 /
प्रतिलिपि :-

20046

भोपाल, दिनांक 12/9/16

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम ग्वालियर मध्यप्रदेश।

622-

3. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल म.प्र.।
4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. संभागीय उपायुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग चंबल संभान मुरैना मध्यप्रदेश।
6. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला श्योपुर मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, आयुक्त आदिवासी विकास के फोल्डर हेतु।
8. समाधान सहायक 16 टी. सी. झाँसी रोड, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह शाखा की ओर सूचनार्थ।

अपर ~~सहायक~~ (वित्त)
आदिवासी विकास म0प्र0

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

69-

क्रमांक / बजट / उपयोजना / 2016-17 /
प्रति,

20044

भोपाल दिनांक 12/9/16

कलेक्टर,

जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, डिण्डौरी,
शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश

विषय :- मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2225 योजना क्रं. 6500 विशेष पिछड़े जनजातियों का विकास
मदान्तर्गत आवंटन वर्ष 2016-17

संदर्भ:- विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण शाखा की नस्ती क्रमांक पीटीजी/31/2016 के
नोटशीट पृ. 171 से 174 पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.09.2016

नियमानुसार व्यय हेतु बजट प्रावधान रूपये 50,00,000/- शब्दों में (पचास लाख मात्र)
का आवंटन आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रदत्त
किया जाता है। जिसका व्यय निम्न शीर्ष से विकलनीय होगा:-

“मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों
का कल्याण (02) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना 6500 विशेष पिछड़े जनजातियों का विकास 42 सहायक अनुदान 007 अन्य।”


(राशि हजारों में)

क्र.	अभिकरण का नाम एवं जिला	डी.डी.ओ.	कक्षा 5वीं से 8वीं की अध्ययनरत छात्राएं	कक्षा 9वीं से 12वीं की अध्ययनरत छात्राएं	मैडीकल चेकअप कैम्प 10000/-	पेयजल हैण्डपंप तथा ट्यूबवेल 20000/-	कृषि एवं पशुपालन	आजीविका	योग
सहारिया विकास अभिकरण									
1	ग्वालियर	1402506002	36	20	70	0	80	80	286
2	दतिया	1302506003	21	10	10	0	0	0	41
3	शिवपुरी	2302506002	102	50	231	200	240	240	1063
4	गुना	1702506009	66	20	260	400	280	280	1306
5	अशोकनगर	1802506009	36	15	10	0	0	0	61
6	श्योपुर	4002506015	87	50	160	200	160	160	817
7	मुरैना	4002506015	15	10	10	0	0	0	35
8	भिण्ड	4002506015	0	0	0	0	0	0	0
बैगा विकास अभिकरण			0	0	0	0	0	0	0
9	डिण्डौरी	1202506002	39	40	39	0	40	40	198
10	शहडोल	3702506002	42	55	55	0	40	40	232
11	अनूपपुर	4612506025	36	30	10	0	0	0	76
12	मण्डला	2302506002	36	35	43	0	40	40	194
13	बैहर बालाघाट	0112506002	24	20	25	0	40	40	149
14	उमरिया	4402506001	42	35	68	200	80	80	505
15	भारिया विकास अभिकरण तामिया जिला छिंदवाड़ा	0742502004	18	10	9	0	0	0	37
योग			600	400	1000	1000	1000	1000	5000

रूपये 50,00,000/- शब्दों में (पचास लाख मात्र)

620

2. कृपया मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उपनियम 284 का पालन किया जावे तथा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासन के आदेशों का पालन किया जावे।
3. उक्त राशि का उपयोग द्वितीय त्रैमास में किया जाना सुनिश्चित करें। राशि के लेप्स होने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
4. योजना क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये व्यय सुनिश्चित किया जाए।
5. कृपया आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं माना जावे। व्यय की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर योजना क्रियान्वयन के संबंध में जारी निर्देशों के तहत व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कृपया राशि आहरित कर बैंक खातों में जमा न की जावे। समस्त ई.पेमेन्ट किया जावे।
 अतः माहवार व्यय की समीक्षा किया करें, तथा व्यय का लेखा प्रत्येक शीर्ष योजनान्तर्गत ठीक रखा जाकर व्यय के मासिक पत्रक मय ट्रेजरी व्हाऊचर नम्बर के आगामी माह की 10 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें।
 (आयुक्त द्वारा आदेशित)



 (आर०क०शर्मा)
 अपर संचालक(वित्त)
 आदिवासी विकास म०प्र०

पृष्ठांकन क्रमांक / बजट / उपयोजना / 2015-16 /
 प्रतिलिपि :-

28045

भोपाल, दिनांक 12/9/16

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. सहायरिया विकास अभिकरण ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, एवं बैगा विकास अभिकरण डिण्डौरी, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, तथा भारिया विकास अभिकरण तामिया जिला छिंदवाड़ा म०प्र०।
5. सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, डिण्डौरी, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा म.प्र.।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, डिण्डौरी, शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, छिंदवाड़ा म.प्र.।
7. निज सहायक, आयुक्त आदिवासी विकास के फोल्डर हेतु।
8. समाधान सहायक 16 टी. सी. झाँसी रोड, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण शाखा की ओर सूचनार्थ।


 अपर संचालक(वित्त)
 आदिवासी विकास म०प्र०